प्रकरण संख्या 27/2014 रूपसिंह बनाम शंकरसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.12.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 तथा रामा व वना ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नंबर 1240, 1241, 1243, 1245 व 1246 कुल किता 5 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा 10 बिश्वांसी भूमि मौजा सदारण में स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 से 5 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 36 का 5/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 37 का 1/12 हिस्सा है। वादीगण की जमीन मौके व रेकार्ड पर अलग-अलग नहीं होने से आये दिन विवाद होते हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.01.2013 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 01.10.2014 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री भगवानलाल पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 29 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रारम्भिक डिक्री राजस्व कैम्प में पारित की गयी, जिसकी कोई सूचना पक्षकारों को नहीं दी गयी। इस कारण प्रारम्भिक डिक्री एबइनिश्योवोइड होकर बिना अधिकार के है और ऐसे आदेशों में मयाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। दिनांक 15.09.2014 को [illegible] अपने वकील से मिले तो उन्होंने पेशकार से [illegible] जिस पर प्रार्थीगण ने पता किया तो उक्त [illegible] की [illegible] हुई। जानकारी [illegible] से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत क[illegible]दी गयी है। अतः	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:48:35 IST
Reason: SelfAttested

कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें **RRD 1992 page 17, RRT 2011 (1) page 602** प्रस्तुत की।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर उक्त न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। उपरोक्त न्यायिक नजीरों अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया गया है। तद्नुसार न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

वकील अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण विक्रय पत्र दिनांक 04.08.1980, जमाबन्दी की नकल संवत् 2022 से 2025, खसरा मिलान की नकल, हाल जमाबन्दी की नकल, प्रार्थीगण द्वारा सहायक कलक्टर, भीम मे यहां प्रस्तुत दावे की नकल प्रस्तुत की गयी है, जो न्यायिक निर्णय के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होने से न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें **CT (SC) 2003 (1) page 120, RBJ (15) 2008 page 256** प्रस्तुत की।

हमने उक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात तथा न्यायिक नजीरों पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों में विक्रय पत्र दिनांक 04.08.1980 एवं खसरा मिलान की नकल मात्र फोटो प्रतियां होने से साक्ष्य में ग्राहृय योग्य नहीं हैं, जबकि जमाबन्दी की नकल संवत् 2022 से 2025, हाल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 एवं सहायक कलक्टर, भीम मे यहां प्रस्तुत दावे की नकल सत्य प्रतियां होने से उपरोक्त न्यायिक नजीरों की रोशनी में रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने सेटलमेन्ट के पूर्व इन्द्राज के आधार पर डिक्री जारी कर दी, जो गलत है, क्योंकि सेटलमेन्ट विभाग ने इन्द्राज बदल दिये हैं एवं शंकरसिंह का 1/4 हिस्सा था उसके स्थान पर 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। यहां तक कि अपीलान्ट का 1/8 + 1/4 हिस्सा था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रोपर तामिल नहीं होते हुए भी तामिल मानकर डिक्री जारी कर दी, जो नल एण्ड वोईड होकर बिना अधिकार के है। अपीलान्ट की खरीदशुदा व कब्जे की जमीन को शंकरसिंह की बताकर प्रारम्भिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:48:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्टगण को विवादित भूमि के 1/8 + 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें **RRT 2018 (2) page 864, RRT 2018 (1) page 582, RRT 2016-17 (Supp.) page 566, DNJ 2018 (4) page 1391** प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.12.2012 अनुसार पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.01.2013 नियत की गयी, किन्तु उक्त दिनांक के स्थान पर पत्रावली सीधे ही दिनांक 29.01.2013 को राजस्व कैम्प कूकाखेड़ा रखकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी। राजस्व कैम्प की पक्षकारान को सूचना दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार उपरोक्त न्याय नजीरों के दृष्टिगत अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.01.2013 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 20.02.2023 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:48:35 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
एवं दिन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर